

प्रपत्र-६

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, राजसमन्द जिला राजसमन्द  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प .....

- आदेश -

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी पीपावास  
व भू.अ.नि. कोटडी की रिपोर्ट तथा तहसीलदार रेलमगरा / नायब  
तहसीलदार गिछुड की अनुशासा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम  
1956 की धारा 136 के अनुरारण में ग्राम पीपावास तहसील रेलमगरा व  
जिला राजसमन्द की जमाबन्दी संवत् 2077 में खाता संख्या 86 में  
वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल  
दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.स.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
01	पीपावास	86	बाबूलाल पुत्र मिशना दिल्ला - 1/12 जाति-गुर्जर सा. 35 खातेदार राहिन दिल्ला - 1/12 (पूर्व खाता) 5885 शाब्बा फ्रीबा	बाबूलाल पुत्र मिशना दिल्ला 1/12 जाति-गुर्जर सा. 35 खातेदार राहिन दिल्ला - 1/12 (पूर्व खाता) 585 शाब्बा फ्रीबा

पीठासीन अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा सहायक कलक्टर

क्रमांक - 12025/146  
प्रतिलिपि -

दिनांक - 3/10/25

1. तहसीलदार रेलमगरा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावे।
2. प्रार्थी श्री पीपावास को सूचनाार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

पीठासीन अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा सहायक कलक्टर